वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 214/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-15.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 15.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

थाना-मेंहनगरः-गैर इरादतन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 13.06.2025 को वादी सोनू कुमार पुत्र पतिराम ग्राम कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 12-6-25 समय करीब लगभग शाम 7.30 को भैस को मारने पिटने के विवाद को विपक्षी मोतीलाल पुत्र हरगुन, सुमित पुत्र मोतीलाल, प्रदीप पुत्र मोतीलाल, मनीष पुत्र मोतीलाल, इन्द्रावती पत्नि मोतीलाल, वन्दना पुत्री मोतीलाल निवासीगण कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर आजमगढ ये लोग मुझे तथा भतीजी अमिशा पुत्री हरिशंकर व भाभी ममता पत्नी हरिशंकर व मेरी माँ धर्मा देवी व बहन मीनू को मारने पिटने लगे हम लोग दवाई इलाज हेतु अपनी माता धर्मा देवी को PGI अस्पताल चक्रपानपुर आजमगढ ले गये जहाँ पर दवा इलाज दौरान इलाज डाक्टरों द्वारा समय मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया गया। ये लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 300/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352/351(3) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 15.06.2025 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम कटात चक कटात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को समय करीब 13.40 बजे जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के गेट से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. सुमित पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम कटात चक कटात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 300/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352/351(3) BNS थाना मेंहनगर, आजमजगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

01. उ0नि0 आदिल खाँ थाना मेंहनगर, आजमजगढ़
02. का0 अतुल शुक्ला थाना मेंहनगर, आजमजगढ़
03. का0 आदित्य पाण्डेय थाना मेंहनगर, आजमजगढ़